जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

आदेश

1. श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर, एक सेवानिवृत अभियंता है जिन्हें दिनांक 11.11.2013 को विहित प्रक्रिया के अनुरूप इस कार्यालय के ज्ञापांक 1470 दिनांक 11.11.13 द्वारा अनुबंध पर अगले ग्यारह माह के लिए जिला परिषद के जिला अभियंता पद पर कार्य करने हेतु रखा गया था। पुनः माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद की अनुशंसा एवं आदेश से इनकी अनुबंध की अवधि अगले 11 –11 माह तक के लिए बढाई गई । इस प्रकार श्री मुकेश दास दिनांक 11.11.2013 से अभी तक इस पद अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहें है।
2. जिला अभियंता के रूप में कार्य करने का तात्पर्य यह है कि जिला परिषद अन्तर्गत एवं इसके द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए ये सम्पूर्ण रूप से जबाब देह है। इनके मातहत वर्तमान में जिला परिषद में एक सहायक अभियंता (अनुबंध) श्री भगवान सिंह तथा दो कनीय अभियंता कमशः श्री रविरंजन प्रसाद सिन्हा एंव श्री सुरेश प्रसाद सिंह कार्यरत है। इस दरमियान जिला परिषद, वैशाली में मुख्य रूप से 13वीं वित्त एवं बी0आर0जी0एफ की योजनाएँ ली गई या फिर पूर्व से चल रही योजनाओं को कियान्वित की गई है। मेरे द्वारा प्रभार लेने की तिथि 14.08.2015 के बाद से ही इन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एंव अन्य कागजातों की समीक्षा एवं गहन जाँच शुरू की गई क्योंकि प्रभार लेने के उपरान्त मुझे ज्ञात हुआ कि श्री शिशिर कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता–सह– प्रभारी जिला अभियंता, जिला परिषद, वैशाली के विरूद्ध हाजीपुर थाना में दो प्राथमिकियाँ कमशः 888/2013 एवं 946/2014 दर्ज है, जिसमें लगभग दो करोड़ बीस लाख की राशि सन्निहित है। इसके अतिरिक्त श्री रामलगन प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग प्रतिनियुक्त, जिला परिषद, वैशाली के विरूद्ध हाजीपुर थाने में काण्ड सं0– 494/2013 दर्ज हुआ जिसमें लगभग अठासी लाख रूपये सन्निहित है। प्रारंभिक जॉच में ही अभिलेखों के संधारण, रोकड़ बही का अभिलेखन तथा बगैर एकरनामा की कार्य किया जाना तथा बगैर उप विकास आयुक्त के मापी पुस्त के अभिप्रमाणित हुए जिसमें कथित रूप से विपत्रों का इद्रांज किया जाना आदि में गंभीर गड़बड़ी/अनियमितता आदि सामने आई । इसी बीच अद्योहस्ताक्षरी 125 –वैशाली वि0सभा के निर्वाची के रूप में नियुक्त किए गए। अतः स्वाभाविक रूप से नामांकन की तिथि 01.09.2015 या इससे पूर्व से ही से लेकर 08.11.2015 की मतगणना तक मेरे द्वारा गहन जाँच की कार्रवाई बाधित हो गई । निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के उपरांत फिर से इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर, ना तो नियमित रूप से कार्यालय आते है और ना ही करोड़ो रूपये की योजनाएँ जो इनके अधीन चल रही है, का इनके द्वारा ना तो ठीक से अनुश्रवण किया जा रहा है और ना ही योजनाओं की स्थलीय जॉच की जा रही है। इतना ही नहीं इनके द्वारा बगैर योजना की जॉच किये आनन–फानन में मनमाने तरीके से बगैर स्थापित नियमों का पालन किये अग्रिम दिये जा रहें है एवं अनियमित रूप से मापी पुस्त में कथित इन्द्राज के विरूद्ध राशि विमुक्त की जा रही है। मेरे द्वारा बैठकों में लगातार इस आशय का निदेश दिया जाता रहा कि वित्तीय नियमों का कठोरता से पालन हो एवं बगैर अभिलेखों के नियमानुकूल संधारण के तथा योजना के भौतिक स्थलीय निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के भुगतान न किये जाये। लेकिन इसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता का धोतक है।
3. उपरोक्त परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय का पत्रांक– 1074 दिनांक– 14.11.15 द्वारा श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर को दिनांक– 14.11.15 से अगले आदेश तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय अवस्थित निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठकर जिला परिषद, वैशाली अन्तर्गत चल रही सभी विकास की योजनाओं के अभिलेख संधारण एवं कागजातों की जॉच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से इन्हें यह आदेशित किया गया था कि इस कार्य के समापन तक प्रतिनियुक्ति बनी रहेंगी और इन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ना है। परन्तु इन्होंने इस आदेश की अवहेलना की एवं अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया और मेरे उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया । इस बीच कईवार मेरे कार्यालय कक्ष से भी दूरभाष द्वारा इनके बारे में पता किया गया, परन्तु ये उपलब्ध नहीं हुए । दिनांक– 16.11.15 को भी मैने कार्यालय

A.K.M_Nov.15Pg-21

20/11/15

अवधि में भी इन्हें बुलावा भेजा तो वे अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण अभिलेखों के जॉच पड़ताल का कार्य लगातार बाधित होता रहा, जिसके कारण इस पुरे गड़बड़ी में इनकी संलिप्तता पर संदेह होना स्वभाविक था।

4. तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक– 1078 दिनांक– 19.11.15 द्वारा श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी, जिसमें उनसे पूछा गया कि पत्रांक– 1074 दिनांक– 14.11.15 द्वारा जो निदेश उन्हें दिया गया था, उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ और दिनांक– 14.11.15 से अगले आदेश तक उपर्युक्त वर्णित कार्यो के लिए जो प्रतिनियुक्ति की गयी थी तो वे इस आदेश की अवहेलना कर लगातार क्यों अनुपस्थित रहें और सरकारी कार्य में बाधा पहुँचायी । इसी पत्र में उनसे यह भी पूछा गया था कि जब उन्हें मेरे द्वारा दिनांक– 09.11.15 एवं 12.11.15 को भी उन्हें खोजा गया था तो वे क्यों अनुपस्थित पाये गये ? उनसे इस स्पष्टीकरण का उत्तर 24 घंटे के अन्दर मॉगा गया। परन्तु ना तो उन्होंने इस स्पष्टीकरण का उत्तर आज तक दिया और ना ही मेरे कार्यालय में उपर्युक्त वर्णित जॉच कार्य में शामिल हुए ।

5. उनके इस कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए पुनः इस कार्यालय के पत्रांक– 1091 दिनांक– 25.11.15 द्वारा उनसे दुसरा स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें उनके विरूद्ध कतिपय आरोप लगाये गये, क्योंकि दिनांक– 14.11.2015 से लगातार मेरे द्वारा जो अभिलेखो, कागजातों एवं अन्य दस्तावेजों को गहन पड़ताल की जा रहीं है, उसमें जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर भी प्रथम दृष्टया योजनाओं के क्रियान्वयन, अभिलेखों के संधारण आदि में गंभीर अनियमितता बरती जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके लिए प्रमुख रूप से जिला अभियंता दोषी है। उक्त स्पष्टीकरण इस आदेश का अभिन्न हिस्सा माना जायेगा । मुख्य रूप से इस स्पष्टीकरण में जो आरोप लगाये गये है, उसमें वित्तीय वर्ष– 2013–14 से 2015–16 तक की विभिन्न योजनाओं में प्रारंभिक जॉच के आधार पर ही पाया गया कि लगभग 151884200.00 (पन्द्रह करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार दो सौ) रूपये की योजनाओं के कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गये । इतनी बड़ी धन राशि की योजना का बगैर किसी अभिलेख संधारण के शुरूआत करना या कथित रूप से पूर्ण करना, बगैर एकरारनामें के कार्य का कथित रूप से शुरूआत किया जाना या फिर श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर के द्वारा उक्त परिस्थिति में अग्रिम दिया जाना एवं बगैर उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली द्वारा अभिप्रमाणित मापी पुस्त में कथित रूप से विपत्र का इन्द्राज एवं उस विपत्र की कथित रूप से जॉच करना गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का धोतक है, जिसके लिए प्रमुख रूप से श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर जिम्मेवार है। निःसंदेश इसके लिए अन्य सभी अभियंता जिसका उपर की कंडिकाओं में जिक्र है वे भी दोषी है, जिनके विरूद्ध अनुबंध समाप्ति एवं नियमित रूप से नियुक्त श्री रविरंजन प्रसाद सिन्हा और सुरेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

6. उपरोक्त आरोप पत्र –सह– स्पष्टीकरण (पत्रांक– 1091 दिनांक–25.11.15) का उत्तर श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर को दिनांक– 26.11.15 के 05:00 बजे तक देना था। परन्तु इनके द्वारा आज तक न तो उत्तर दिया गया है और ना ही उपर्युक्त वर्णित जॉच कार्य में सहायता दी जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और अपने उपर लगाये गये आरोप को स्वीकार करते है। उपरोक्त वर्णित आरोप जो प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता एवं गबन से संबंधित है, की गहन जॉच लगातार की जा रही तथा योजनाओं के स्थल जॉच के आदेश अलग से निर्गत किये जा रहें है। लगभग 400 (चार सौ) से अधिक योजनाओं की जॉच के फलाफल के उपरान्त इस गंभीर वित्तीय अनियमितता/गबन एवं अन्य अपराधों की गणना की जायेगी, तदुपरान्त अन्य संबंधितों के अतिरिक्त श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर सम्यक एवं अग्रेत्तर कानूनी कार्रवाई की जायेगी । वित्तीय अनियमितता के स्वरूप के वृहत होने एवं इसमें कई तकनीकी पहलु होने के मद्देनजर इन सम्पूर्ण मामले को निगरानी विभाग को भी जॉच हेतु भेजा जा रहा है। इसके संबंध में अलग से निर्णय लिया जा रहा है ताकि इस मामले का वैज्ञानिक एवं व्यापक अनुसंधान हो सके। परन्तु अभी तक के जॉच एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी स्थिति से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश दास, जिला